न्यायालय जिला निर्वाचन अधिकारी,(कलक्टर), भरतपुर

अपील निर्वाचन सं0 17 / 2019

1– दीवान सिंह पुत्र बदन सिंह जाति जाट निवासी ग्राम कूम्हां तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर ।

....अपीलार्थी

बनाम

1–मिथलेश पत्नी नरेन्द्र सिंह
2– नरेन्द्र सिंह पुत्र भगवान सिंह
3–प्रशान्त सिंह पुत्र नरेन्द्र सिंह
4–हेमलता पत्नी प्रशांत सिंह
5–ऋतुरानी पत्नी नरेन्द्र सिंह
} जाति जाट निवासी मकान संख्या 1372 इन्द्रा कॉलोनी भरतपुर

6–सूर्यपाल पुत्र शंकर सिंह जाति जाटव निवासी हीरादास का नगला भरतपुर

7–श्यामवीर सिंह पुत्र गोरधन सिंह
8–महारानी देवी पत्नी यामवीर सिंह
} जाति जाट निवासी हाउसिंग बोर्ड कृणा कोलोनी टंकी के पास भरतपुर

9–विश्वप्रिय पुत्र हुकम सिंह
10–मुकेश देवी पुत्री विश्वप्रिय
} जाति जाट निवासी गुलालकुण्ड भरतपुर

11–जवाहर सिंह पुत्र गुलाब सिंह
12–मंजू पत्नी जवाहर सिंह
} जाति जाट निवासी रामनगर भरतपुर से कुम्हेर रोड के वाये भरतपुर

13–सुखराम पुत्र कल्लन
14–फूलवती पत्नी सुखराम
15 –दीपक पुत्र राधाचरन
} जाति जाटव निवासी वार्ड संख्या 14 मकान सं0 हीरादास का नगला भरतपुर

16–किशन सिंह पुत्र जयराम सिंह
17–चन्द्रवती पत्नी किशन सिंह
18–सुरेन्द्र सिंह पुत्र किशन सिंह
19–उषा देवी पत्नी सुरेन्द्रसिंह
20–राजू सिंह पुत्र किशन सिंह
21–भूरी पत्नी देवेन्द्र सिंह
} जाति जाट निवासी हाउसिंग बोर्ड भरतपुर

22–गौरव पुत्र समर सिंह जाति जाट निवासी म.374 गोलपुरा रोड भरतपुर

23–संतोष पत्नी समर सिंह जाति जाट निवासी म.374 गोलपुरा रोड भरतपुर

24– विनोद कुमार पुत्र शिवचरन
25–रीना कुमारी पत्नी विनोद कुमार
26–शिवचरन पुत्र मिश्रीलाल
27–शकुन्तला पत्नी शिवचरन
28–महेश कुमार पुत्र शिवचरन
जाति जाट निवासी मकान न0 348 वार्ड नं0 53 संजय नगर भरतपुर

29–रूपेन्द्र सिंह पुत्र अतरसिंह जाति जाट निवासी मकान नं0 808 वार्ड संख्या 56 शास्त्री नगर भरतपुर

30–श्याम सुन्दर पुत्र चंदन सिंह
31–उमेश चंद पुत्र श्याम सुन्दर
32–पुष्पेन्द्र पुत्र श्याम सुन्दर
जाति ब्राहमण निवासी मकान नं0 701 वार्ड संख्या 63 नाले पर रेल्वे कॉलोनी के पास भरतपुर

33–रूपसिंह पुत्र दीवान सिंह
34–सरिता पत्नी रूपसिंह
35–दीवान सिंह पुत्र ग्यासी राम
36–वीरमति पत्नी दीवान सिंह
जाति जाट निवासी म0न0 60 पुष्पवाटिका कॉलोनी भरतपुर

37–दानवीर पुत्र गोरधन सिंह
38–राकेश पत्नी दानवीर सिंह
जाति जाट निवासी म0 न0 46 वार्ड संख्या 52 पानी पास कृष्णा कोलोनी भरतपुर।

.... उत्तरवादीगण

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.12.2019 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.),पंचायत समिति ,कुम्हेर जिला भरतपुर शीर्षक दीवान सिंह बनाम मिथलेश आदि।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः–10.01.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 24.12.2019 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी (एस.डी.एम.),पंचायत समिति,कुम्हेर जिला भरतपुर पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश में ई.आर.ओ. कुम्हेर ने रेस्पो. के नाम ग्रांम पचांयत कुम्हां की मतदाता सूची में जोड़े जाने के आदेश दिये गये हैं। अपीलान्ट ने निवेदन किया है कि उत्तरवादीगण के नाम भरतपुर नगर निगम की लेटेस्ट मतदाता

........3

सूची दिनांक 20.12.2019 में अंकित हैं जो दिनांक 14.09.2019 को प्रकाशित की गई है, जिसकी अर्हता दिनांक 01.01.2019 है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18 (5) व (6) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्थान के एक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से अधिक की मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने का अधिकारी नहीं है और किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में एक समय में एक से अधिक में मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत नहीं करा सकेगा। इसलिए उनके नाम ग्राम पंचायत कूम्हा में रखे जाने योग्य नहीं है किन्तु अधीनस्थ प्राधिकारी ने इस कानूनी बाध्यात्मक प्रावधान पर गौर नहीं कर अपीलाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। उत्तरवादियों से जो शपथ पत्र इस आशय के लिए गये हैं कि वे भरतपुर नगर निगम मतदाता सूची में अंकित अपने नाम को हटवा लेंगे, उनके नाम ग्राम पंचायत कूम्हा कि मतदाता सूची में रखे जा सकते हैं जो कतई गलत है। क्योंकि ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं है। नगर निगम के चुनाव दिनांक 16.11.2019 को समाप्त हुए हैं और ग्राम पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शीघ्र होने वाली है। इसलिए 6 माह से पूर्व तो उनके नाम भरतपुर की नगर निगम मतदाता सूची से हटने वाले भी नहीं है। सुखराम पुत्र कल्लन जाति जाटव हाल निवासी नगला हीरादास एवं इनके परिवारजनों के नगर परिषद चुनाव दिसम्बर 2004 एवं जनवरी 2005 में श्रीमान के कार्यालय से आपत्ति पेश कर ग्राम पंचायत कूम्हां के वार्ड नं0 11 से नाम पृथक कराये थे, इन्होंने वर्ष 2009 में पुनः ग्राम पंचायत कूम्हां में नाम दर्ज करा लिए जो इस काम के आदी हैं । इसी प्रकार किशन सिंह पुत्र जसराम जाति जाट हाल निवासी हाउसिंग बोर्ड भरतपुर मकान संख्या 700 वार्ड संख्या 55 के नाम दिसम्बर 2004 एवं जनवरी 2005 में श्रीमान् के आदेशानुसार ग्राम पंचायत कूम्हां से नाम डिलीट करा दिये गये थ। इनके द्वारा पुनः वर्ष 2009–10 में दुबारा से ग्राम पंचायत कूम्हां के ग्राम इन्दु में वार्ड संख्या 8 में दर्ज कराये गये जो इस काम के आदी हैं। अंत में अपीलार्थी द्वारा अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश 24.12.2019 को निरस्त किया जाकर उत्तरवादीगण के नाम ग्राम पंचायत कूम्हां पंचायत समिति कुम्हेर की निर्वाचक नामावली से पृथक किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट ई0 आर0 ओ0 (एस.डी.एम.), कुम्हेर से तहत पत्रावली तलब की गई। तहत पत्रावली प्राप्त होने पर संलग्न मिसल है । योग्य अभिभाषक उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थीण के नाम नगर निगम भरतपुर की लेटेस्ट मतदाता सूची दिनांक 20.12.2019 में अंकित हैं, जो दिनांक 14.09.2019 को प्रकाशित की गई है, जिसकी अर्हता दिनांक 01.01.2019 है। अप्रार्थीगण वर्तमान में कस्बा भरतपुर में ही निवास करते हैं । और इन्होंने भरतपुर और कूम्हां दोनों स्थानों की मतदाता सूचियों में अपने नाम जुड़वा रखे हैं, जो गलत हैं । राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18 (5) व (6) के अनुसार कोई व्यक्ति किसी पंचायती राज संस्थान के एक वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र से अधिक की मतदाता सूची में नाम पंजीकृत कराने का अधिकारी नहीं है और किसी वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र में एक समय में एक से अधिक मतदाता सूची में अपना नाम पंजीकृत नहीं करा सकेगा। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने बताया कि अप्रार्थीगण ने ई.आर.ओ. के समक्ष इस आश्य का शपथ पत्र पेश कराना कि भरतपुर नगर निगम की मतदाता सूची में अंकित नाम को हटवा लेगें इसलिए उनके नाम ग्रांम पंचायत की मतदाता सूची में नाम रखे जावें, अप्रार्थीगण की यह स्वीकारोक्ती कतई गलत है इस प्रकार से नाम जोड़ने काटने का कोई विधिक प्रावधान नहीं है। इस प्रकार तहत न्यायालय ने नियमों के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अप्रार्थीगण के नाम मतदाता सूची नगर निगम में भी दर्ज होने से ग्राम पंचायत कूम्हां की मतदाता सूची से इनके नाम पृथक किये जाने के आदेश दिये जावें ।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक का कथन है कि अप्रार्थीगण के नाम पहले से ही ग्राम पंचायत कूम्हां की मतदाता सूची में अंकित हैं । अप्रार्थीगणों के वहां पर मकान और कृषि भूमि हैं और वे वहीं पर निवास करते हैं । अप्रार्थीगण ने भरतपुर नगर निगम की मतदाता सूची से अपना पृथक कराने हेतु आवेदन किया हुआ है ई0आर0ओ0 ने अप्रार्थीगण की जांच उपरान्त ही ग्राम पंचायत कूम्हां की मतदाता सूची में नाम रखे जाने का निर्णय किया गया है जो उचित है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है ।

हमने योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । पत्रावलीयों का अवलोकन किया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट दीवानसिंह पुत्र बदन सिंह ग्रांम कूम्हा ने एक आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 17.1219 को ई.आर.ओ. कुम्हेर के समक्ष इस आशय का पेश किया जो संक्षेप में इस प्रकार है कि जिन मतदाताओं के नाम हाल में हुये नगर निगम भरतुर चुनाव 2019 में मतदाता सूचियों में दर्ज हैं, उनके नाम ग्रांम पंचायत कुम्हां की मतदाता सूची से पृथक किये जावें। जिस पर ई.आर.ओ. कुम्हेर द्धारा कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलाधीन आदेश में ई.आर.ओ. कुम्हेर ने अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर अप्रार्थीगण/रेस्पो. के नाम ग्रांम पंचायत कूम्हां की मतदाता सूची में रखे जाने का आदेश दिया गया है। तहत पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थीगण द्धारा प्रस्तुत शपथ पत्रों पर गौर किया गया। अप्रार्थीगण ने अपने प्रस्तुत शपथ पत्र में कथन किया है कि :–

> ''...................हमारे नाम भरतपुर नगर निगम 2019 की मतदाता सूची में गलती से जुड गये हैं। हमने नाम जुडवाने के लिये आवेदन नहीं किया था।...हमने नगरनिगम भरतपुर के चुनाव दिनांक 16.11.19 का प्रयोग नहीं किया था...हमारे राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेज ग्रांम पचांयत कूम्हां के ही है भरतपुर के कोई दस्तावेज नही हैं... अगर हमारे नाम भरतपुर नगर निगम 2019 की मतदाता सूची में है तो वहॉ की मतदाता सूची से नाम पृथक करा लिया जावेगा।...हमारा नाम ग्रांम पंचायत कूम्हां में यथावत रखा जावे...... ।''

अप्रार्थीगण द्धारा प्रस्तुत सभी शपथ–पत्रों में अंकित कथन एक जैसा ही है। इस सम्बन्ध में तहसीलदार कुम्हेर की अध्यक्षता में तीन सदस्यी टीम गठित कर ई.आर.ओ. कुम्हेर से अप्रार्थीगण के आवास के संबध में जॉच रिपोर्ट भिजवाने हेतु लिखा गया। ई.आर.ओ. कुम्हेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट जो शामिल पत्रावली है। ई.आर.ओ. कुम्हेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट में अंकित किया हैः–

........6

'' जांच में पाया है कि..........अप्रार्थी सं. 01 से 05, 09 से 12, 22 से 28, 30 से 36 पूर्व में ग्राम कूम्हां के निवासी थे । ग्राम में इनके पुराने मकान व कृषि भूमि है किन्तु ये सभी 10 वर्ष से अधिक समय से भरतपुर निवास कर रहे हैं। जानकारी में आया कि उनके भरतपुर नगर निगम एवं ग्राम पंचायत कूम्हां दोनों जगह मतदाता सूची में नाम हैं। सेंथरी के दीपक पुत्र राधाचरन, सूर्यपाल पुत्र शकर सिंह जाति जाटव वार्ड 11 की मतदाता सूची में नाम नहीं है वो भरतपुर निवास करते हैं व सुखराम पुत्र कल्लन फूलवती पत्नी सुखराम ग्रांम में नही रहते हैं। बी.एल.ओ. ने बताया पूर्व में कटवाने के लिये प्रस्ताव भेज रखे हैं। कुछ व्यक्ति ग्रांम कुम्हां में भी आते जाते रहते हैं। कुम्हा वाले व्यक्तियों के आवास हेतु ग्रांम कुम्हा व भरतपुर में दोनों जगह मकान हैं। तुलाराम पुत्र नरोत्तम ने बताया कि क्र.स.31,32 पर दर्ज नाम भरतपुर रहते हैं, क्र.स.30 ग्रांम में रहता है क्रम संख्या 25 व 27 पर दर्ज महिलायें घर पर मिली परन्तु उन्होने बताया कि दोनों जगह नाम हैं व दोनों जगह निवास करते हैं, क्रंस 13 व14 पर दर्ज नाम वार्ड 11 में मौजूद हैं....।

इसी प्रकार क्र.सं. 7,8 एवं 16 लगायत 21 तथा 29,37,38 पर अंकित नाम के अप्रार्थीगण ग्राम इन्दू के निवासी थे परन्तु 10 वर्ष से अधिक समय से भरतपुर निवास कर रह रहे हैं ग्राम में इनके पुराने व कृषि भूमि हैं जानकारी में आया कि उनके भरतपुर नगर निगम एवं ग्रांम पचांयत कुम्हा दोनों जगह मतदाता सूची में नाम हैं। उपरोक्त व्यक्ति ग्रांम में भी आते जाते रहते हैं। क्र.0स0 7 पर दर्ज श्यामवीर मौके पर मिले इन्होने बताया कि मैं अपना नाम ग्रांम में रखना चाहता हूॅ। सभी व्यक्तियों के आवास हेतु ग्रांम व भरतपुर में दोनों जगह मकान हैं.........।''

हमने पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 18 में दिये गये प्रावधानों का अध्ययन किया । sub sec. 5 व 6 का अवलोकन किया –

(5) ''.........No person shall be entitled to be registered in the electoral roll for more than one ward or constituency of any Panchayati Raj institution in the State.

(6) '' No person shall be entitled to be registered in the electoral roll of a ward or constituency more than once......''

उक्त विवेचन से यह निर्विवाद है कि अप्रार्थी क्रम संख्या 1से 5 , 9 से 12 , 22,से 28, 30 से 36 के ग्राम कूम्हां में एवं भरतपुर शहर में भी मकान हैं परन्तु, ये **10 वर्ष से अधिक समय से भरतपुर में निवास कर रहे हैं और इनका नाम नगर निगम भरतपुर की मतदाता सूची में भी दर्ज है** तथा अप्रार्थी संख्या 7,8 एवं 16 लगायत 21 तथा 29,37,38 ग्राम इन्दु के निवासी थे जो 10 वर्ष से अधिक समय से भरतपुर में निवास कर रहे हैं। अप्रार्थी क्रम संख्या 1से 5 , 9 से 12 , 22 से 28, 30 से 36 एवं तथा अप्रार्थी संख्या 7,8 एवं 16 लगायत 21 तथा 29,37,38 एवं संख्या 6, 15, संख्या 13 व 14 भी साधारणतय भरतपुर शहर के निवासी पाये गये हैं। अप्रार्थीगण द्वारा ई.आर.ओ. कुम्हेर के समक्ष प्रस्तुत शपथ पत्रों में ग्रांम पंचायत कुम्हां एवं भरतपुर शहर के **नगर निगम की मतदाता सूची में नाम दर्ज होना स्वीकार किया है। यानि दो पृथक पृथक मतदाता सूचीयों में इनके नाम दर्ज हैं। उपरोक्त अप्रार्थीगण के दोनो जगह नाम हैं,** जो राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के खिलाफ हैं, अतः उक्त अप्रार्थीगण के नाम ग्रांम पंचायत कुम्हां की मतदाता सूची में रखा जाना नियमों के विपरीत है। मुताबिक जांच रिपोर्ट अप्रार्थी रीना कुमारी पत्नी विनोद कुमार व अप्रार्थी शकुंतला पत्नी शिवचरन गांव कुम्हां में घर पर ही रहना पाये जाने के कारण ये अप्रार्थी रीना कुमारी पत्नी विनोद कुमार, विनोद कुमार पुत्र शिवचरन एवं शंकुतला पत्नी शिवचरन व उसका पति शिवचरन पुत्र मिश्री लाल का नाम ग्रांम कुम्हां की मतदाता सूची में यथावत रखा जाना उचित पाते हैं।

इस प्रकार ई.आर.ओ. कुम्हेर ने अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर अप्रार्थीगण के आवास करने बाबत एवं भरतपुर नगर निगम की मतदाता सूची से नाम पृथक होने की कोई जांच किये बिना मात्र शपथ पत्रों को आधार बनाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है उसको विधि सम्मत नहीं पाते हैं। अतः उक्तानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य रहती है।

अतः आदेश है कि

अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा ई.आर.ओ. कुम्हेर को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी संख्या 1 से 23 व 28 से 38 का नाम ग्रांम पंचायत कुम्हा की मतदाता सूची से कलमजन किया जावे तथा अप्रार्थी संख्या 25 रीना कुमारी पत्नी विनोद कुमार, अप्रार्थी 24 विनोद कुमार पुत्र शिवचरन एवं अप्रार्थी संख्या 27 शंकुतला पत्नी शिवचरन व अप्रार्थी संख्या 26 शिवचरन पुत्र मिश्री लाल का नाम ग्रांम पंचायत कुम्हां की मतदाता सूची यथावत रखा जावे तथा जिन मतदाता अप्रार्थीयों ने दो स्थानों यथा नगर निगम भरतपुर एवं ग्रांम पंचायत कुम्हां की मतदाता सूची में नाम दर्ज कराये हुये हैं, उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत सुसंगत कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। निर्णय की प्रति के साथ तहत पत्रावली ई0आर0ओ0 कुम्हेर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 10.1.2020 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(नथमल डिडेल)
जिला कलक्टर,भरतपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2020.01.16 16:22:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: